



झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
JHARKHAND STATE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
(Government of Jharkhand Undertaking)

पत्रांक / Ref. No. : 352 नं. का। ५६। क।

दिनांक / Dated : 26.07.2022

सूचना

निदेशानुसार, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची द्वारा संचालित आधुनिकतम मॉर्डन रेडिमेड गारमेन्ट्स (सिलाई प्रशिक्षण) हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्न विवरणी एवं शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 तक आमंत्रित किया जाता है :-

क्र.	प्रशिक्षण केंद्र का नाम	आवेदन पत्र जमा करने का स्थान
1	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची
2	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सीताडीह, अनगढ़ा, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं सीताडीह, अनगढ़ा, रांची
3	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, बड़ाम, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं बड़ाम, रांची
4	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ओरमांझी, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं ओरमांझी, रांची
5	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा दरगाह, डोरंडा, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा दरगाह, डोरंडा, रांची
6	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, चुट्टू, पतरातु, रांची	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं चुट्टू, पतरातु, रांची
7	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, विष्टुपुर, जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं विष्टुपुर, जमशेदपुर
8	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, घोड़ाबंधा, जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं घोड़ाबंधा, जमशेदपुर
9	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, विरसानगर, जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं विरसानगर, जमशेदपुर
10	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, डुमरिया, पूर्वी सिंहभूम	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं डुमरिया, पूर्वी सिंहभूम


उद्योग भवन, द्वितीय तल, रातु रोड, रांची - 834001 (झारखण्ड) / Udyog Bhawan, 2nd Floor, Ratu Road, Ranchi - 834001 (Jharkhand)

दूरभाष / Phone : 0651-2280970, फैक्स/Fax : 0651-2280900
 वेबसाईट / Website : www.jharkhandkhadi.net ईमेल / E-mail : headoffice@jharkhandkhadi.net

11	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, बापूनगर, धनबाद	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं बापूनगर, धनबाद
12	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, प्रेमनगर, धनबाद	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं प्रेमनगर, धनबाद
13	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, सिंदरी, धनबाद	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं सिंदरी, धनबाद
14	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, देवघर	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं देवघर
15	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं हजारीबाग
16	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, बेलाटांड, झुमरीतिलैया	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं बेलाटांड, झुमरीतिलैया
17	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, लोहरदगा	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं लोहरदगा

शर्तें :-

1. अभ्यर्थियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
2. आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है, परंतु मैट्रिक पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. प्रशिक्षण की अवधि 06 (छ.) माह की होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित छात्रवृत्ति 4500.00 रुपये प्रतिमाह देय होगा।
6. आधार कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही ST, SC एवं OBC का जाति प्रमाण-पत्र (आवेदन में जाति का उल्लेख स्पष्ट करें।) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र सलग्न करना होगा।
7. प्रशिक्षण का समय पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा।
8. आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरा हुआ फोटो के साथ निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।
9. प्रशिक्षणार्थियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
10. साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे।
11. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को 01 (एक) वर्ष अनिवार्यरूप से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के केंद्रों में उत्पादन कार्य करना होगा।
12. प्रशिक्षण केंद्र के आस-पास रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वेबसाइट : www.jharkhandkhadi.net से डाउनलोड की जा सकती है।
13. कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पाठ्य



झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

केन्द्र का नाम.....



“प्रशिक्षण कार्यक्रम” में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग पदाधिकारी/प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

..... |

फोटो

विषय : प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित केन्द्र के माध्यम से ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मैं अपनी निम्न जानकारी प्रस्तुत करते हुए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. शैक्षणिक योग्यता :
4. जन्म तिथि :आधार संख्या
5. उम्र :मोबाईन नं.
6. जाति :
7. स्थायी : ग्राम : पो0

थाना : जिला

राज्य :

टिप्पणी :- शैक्षणिक योग्यता/जाति (सामान्य का छोड़कर)/आवासीय प्रमाण-पत्र (मतदान पहचान पत्र या पारिवारिक राशन कार्ड या बैंक अथवा डाकघर का पास बुक या ड्रईविंग लाइसेंस या आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड) विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

नोट : – आवेदन पत्र रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

सुश्री/श्रीमती/श्री ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र
जिला स्तर के प्रभारी
झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड